झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1077 वर्ष 2017

1. सुनील कुमार

2. येलचुरी रागवय्या

.... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखंड राज्य

2. प्रधान सचिव, झारखंड सरकार, रांची

3. निदेशक, (औषधि), राज्य औषधि नियंत्रण, निदेशालय, रांची

4. उप निदेशक (औषधि)–सह–क्षेत्रीयलाइसेंसिंग प्राधिकरण, हजारीबाग

5. श्रीमती माधुरी देवी, जिला–बोकारो .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री अरशद हुसैन, अधिवक्ता

उत्तरदातागण के लिएः– जी0पी0–V का जे0सी0

2/6.3.2017 याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

ड्रग कॉस्मेटिक नियम, 1945 के नियम 65 ए के तहत प्रतिवादी सं0 4, उप निदेशक (औषधि)–सह–क्षेत्रीयलाइसेंसिंग प्राधिकरण, हजारीबाग द्वारा नोटिस दिनांक 2 जून, 2016 (अनुलग्नक–7) एवं 27 जनवरी, 2017 (अनुलग्नक–11) जारी करके याचिकाकर्ताओं के

ड्रग लाइसेंसों–बीकेएस 56/96 और बीकेएस 56ए/96 दोनों दिनांक 19 सितंबर, 1996 क नवीनीकरण के मामले में उनसे संबंधित परिसर के संबंध में किराया रसीदों या पट्टे के समझौते की प्रतिलिपि को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया जिसे रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा आपत्ति की गई है। याचिकाकर्ताओं ने 16 जून, 2016 को अनुलग्नक–8 और फिर से 3 फरवरी, 2017 को अनुलग्नक–12 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष अपना बचाव स्पष्ट किया है।

याचियों के वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्तागण और प्रत्यर्थी सं0 5 मकान मालकिन वाद संपत्ति के संबंध में मूल वाद संख्या 19/15 में पक्षकार हैं। मूल पट्टेदार बेटे की मृत्यु के बाद उसी मां को किराया दिया जा रहा है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को कोई किराया रसीद नहीं दी गई है। वह प्रस्तुत करते हैं कि मूल वाद संख्या 19/15 की विचाराधीनता और उसमें लिए गए मकान मालकिन के रूख पर भी दिनांक 8 जुलाई, 2016 के पत्र जिसे प्रत्यर्थी सं0 4 ने प्रत्यर्थी सं0 5 को संबोधित किया था, को ध्यान में रखा गया है। इसके बाद 27, जनवरी 2017 की नोटिस, जिसे यहां अनुलग्नक–11 के रूप में संलग्न किया गया है, के माध्यम से एक बार फिर से उसे अद्यतन किराया रसीद/पट्टा समझौते या सक्षम न्यायालय से स्थगन के किसी भी आदेश को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसके विफल होने पर दिनांक 01.01.2017 के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी सं0 5 इस मामले में सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए, याचियों को इस न्यायालय में आने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि याचियों का मौजूदा लाइसेंस मकान मालिक के गैर–सहयोग के कारण रद्द किया जा सकता है, हालांकि किराया उसे नियमित

रूप से भुगतान किया गया है और किसी भी प्रतिबंधित दवाओं के भंडारण, आपूर्ति या बिक्री की कोई शिकायत नहीं है।

राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचियों द्वारा उल्लिखित सभी पृष्ठभूमि के तथ्य न केवल प्रत्यर्थी सं00 4 के संज्ञान में हैं, जैसा कि अनुलग्नक–9 सहित संलग्न पत्रों से स्पष्ट है और याचियों ने भी नोटिस (अनुलग्नक–11) जारी करने पर अपना जवाब दाखिल किया है। रिट याचिकाकर्ताओं ने इस स्तर पर, मामले में हस्तक्षेप की मांग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने में अधिकार क्षेत्र की कोई कमी या दुर्भावना नहीं दिखाया है।

मैनें पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री का अध्ययन किया है। इस स्तर पर, यह न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है जब प्रत्यर्थी सं0 4 द्वारा जारी करने वाले प्राधिकारी में किसी भी क्षेत्राधिकार का अभाव या दुर्भावना नहीं दिखाई गई है। प्रत्यर्थी सं0 4 सभी पृष्ठभूमि के तथ्यों से अवगत प्रतीत होता है, जैसा कि अनुलग्नक–9 में प्रत्यर्थी सं0 5 को संबोधित उसके पत्र से परिलक्षित होता है। प्रत्यर्थी सं0 4 कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

पक्षकारों द्वारा चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थी सं0 5 की अनुपस्थिति में, मामले में इस स्तर पर कोई अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार, रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)